9.12.2025

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

विप्रार्थीगण की तामिली हेतु जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जो शामिल मिसल किये गये।

प्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.10.2024 को निरस्त पर बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि उपरोक्त अनवान का प्रकरण श्रीमानजी के न्यायालय में तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कदीमी रास्तें का बनाकर दिनांक 15–10–2024 को पेश किया गया था और आगामी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sardadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:16 IST
Reason: SelfAttested

पेशी तारीख दिनांक 30-10-2024 को रखी गयी थी, और आगामी पेशी के दिन विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही कार्यवाही कर पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया गया था। जिसमें विप्रार्थीगण को उपरोक्त आवेदन की कार्यवाही के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नही हुई और न ही किसी प्रकार की सुचना या कोई नोटिस आदि विप्रार्थीगण से व्यक्तिगत रुप से तामिल हुआ है। और गलत रुप से एकपक्षीय कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। कि विप्रार्थीगण उपरोक्त विवादित आराजी के खातेदार है और अपना कब्जा-काश्त है और आवेदन में अपना पक्ष रखकर न्यायालय से उचित सुनवाई कर अपने वास्तविक तथ्य व मौके की स्थिति व अन्य तथ्यों से न्यायालय को अवगत करवाने से वचित रह गये थे। कि विप्रार्थीगण के रेकर्ड में दिनांक 25-10-24 को तामील होना बताया जा रहा है और आगामी पेशी तारीख जो दिनांक 30-10-2024 को रखी हुई थी, जिसमें कोई विप्रार्थीगण या उनका अधिवक्ता हाजिर नही हुए थे, क्योकि व्यावहारिक रुप में किसी पक्षकारान को कोई नोटिस प्राप्त होने ही नहीं दिया गया था और न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से इंतजार या सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया था, उसी दिन एकपक्षीय कार्यवाही कर उसी दिन पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया गया था। कि पटवारी पायलां खुर्द के द्वारा उक्त रास्ता को मात्र खसरा संख्या 176 को उनके खेत तक नहीं पहुंचा कर उनके घर तक का कटाण करवाया गया है जबकि मौके पर ऐसा कोई मार्ग नही चल रहा है। जिसके सम्बन्ध में पटवारी के द्वारा कोई मौका रिपोर्ट मौतबिरान के रुबरु नहीं बनाई गयी है। और न ही किसी खातेदार पक्षकारान या अन्य स्वतन्त्र पक्षकारान के हस्ताक्षर है। और हमारे खसरे के दो टुकड़ा करतें हुए प्रकरण बनाया गया है जो गलत रुप से पेश किया गया है। इस प्रकार पहली पेशी पर ही एक तरफा बहस व पत्रावली में पेश खसरों के खातेदार को तलबी का नोटिस पक्षकारान तामील किये बिना और विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही देकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर और आनन फानन में उसी दिन अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया था। कि आवेदन पेश करने में हल्का पटवारी पायला खुर्द की भूमिका ही संदिग्ध है। यह कदीमी रास्ता प्रकरण आम जन के आने जाने व सार्वजनिक उपयोग के लिये होता है न कि निजी उपयोंग के लिये, जबकि यह प्रकरण मात्र एक खसरे के खातेदार को उनके खसरें तक नहीं पहुंचा कर उनके घर तक मार्ग का फायदा पहुंचाने व उन्हे लाभान्वित करने के लिये तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर वास्तविकता से प्रतिकूल प्रकरण बना कर पेश किया है, जिसका विप्रार्थीगण किसी प्रकार का विरोध या न्यायालय को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने से वंचित रह गये थे। साथ ही उक्त प्रकरण को बना कर मात्र एक खातेदार कानाराम को लाभान्वित किया गया है और दुसरे अन्य खातेदारों को जिनका भी घर उक्त खसरे में है जिनके घर तक किसी प्रकार का मार्ग नही पहुंचाया गया है। जबकि रास्ते में कटने वाला रकबा संयुक्त रुप से कटा है और फायदा एक पक्षकार को दिया गया है। जबकि विधि अनुसार खसरा संख्या 176 को रास्ते से जुड़ने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा [illegible] (1) के लिये गये प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही कर रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी [illegible] कदीमी रास्ता का सहारा लेकर अपना निजी हित साधने में है। [illegible] न्यायालय से वास्तविक तथ्य व स्थिति को अवगत कराने से वंचित [illegible] में अन्य सहखातेदारों के द्वारा भी अपना पक्ष नहीं रखा सके है और सुनवाई के अवसर से वंचित रख कर विधि के प्रतिपादित सिद्धान्त प्राकृतिक न्याय से वंचित किया गया है जो विधि के अनुसार उचित नही है। उक्त आवेदन जो कदीमी रास्ता का है जिसमें विप्रार्थीगण खातेदार है और अपना कब्जा-काश्त, रहवासी घर, पानी का टांका और पशुओं का चारवाडा आदि बना हुआ है और खातेदारों के द्वारा अलग-अलग कब्जा-काश्त व मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पर तारबन्दी आदि की हुई है जिससे मौके पर ऐसा कोई कदीमी रास्ता नही है और नहीं विप्रार्थीगण का उक्त खसरा सड़क से जुड़ा हुआ है। इसलिये विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करना न्याय व विधि की दृष्टि से अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश स्वीकार कर दिनांक 30–10–24 को जो एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है उसे निरस्त कर पत्रावली में जवाब, साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान कारने का आदेश प्रदान करावें। ताकि मुझ बुजुर्ग, किसान व अनपढ व्यक्ति के साथ न्याय हो सकें और न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान हो सके।

हमनें प्रार्थीगण के वकील बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन था विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ तहसीलदार सिणधरी द्वारा कदीमी रास्ते के रूप में प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्व पक्षकारों को जारी नोटिस सम्यक रूप से तामिली का अभाव पाया गया है तथा प्रार्थीगण को अनुपस्थित मानते हुए निर्णय पारित किया गया। जबकि प्रार्थीगण की दलील अनुसार संबंधित समस्त हितबद्व पक्षकारों को उन्हं सुनवाई का असवर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने से प्राकृतिक एवं सैद्वातिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें वाद में अपनी पक्ष रखते हेतु विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे कि विवादित आरजी के सन्दर्भ में सम्पूर्ण पक्षकार को अपनी ओर से सुनवाई हेतु सुअवसर प्राप्त हो सके।

लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.10.2024 को निरस्त करने का स्वीकार किया जाता है। असल पत्रावली मु.सं. 157/2024 अनवान सरकार बनाम चम्पादेवी में पारित आदेश दिनांक 20.10.2024 को अपास्त करते हुए उक्त आवेदन पुनः बरामद करते हुए पक्षकारान को सुनवाई हेतु अवसर दिये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:16 IST
Reason: SelfAttested